

transferred to the IEPF.

following the procedure prescribed by rules.

## HIRA FERRO ALLOYS LIMITED

Regd Office & Works: Plot No. 567B, Urla Industrial Area, Urla, Raipur, (C.G.)

Corporate Office: Hira Arcade Near Bus Stand, Pandri, Raipur, 492004 (C.G.)

Website: www.hiraferroalloys.com Email: mohit.chande@hfal.in CIN: U27101CT1984PLC005837 Tel: 0771-4082000 Fax:0771 - 4057601

NOTICE -TRANSFER OF SHARES TO INVESTORS EDUCATION PROTECTION FUND The notice is being published pursuant to the provisions of Investors

Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules) and amendment thereof. The rules inter-alia contains provision for transfer of shares in the name

of Investors Education Protection Fund (IEPF) in respect of which dividend has not been paid or claimed by shareholders from seven consecutive years from FY 2014-15. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated individually the concerned shareholders through reminder letter

dispatched on

21st June. 2022, whose Equity Shares and Unclaimed/Unpaid Dividend for FY 2014-15 are liable to be transferred to IEPF under the Rules for taking appropriate actions. Further in terms of Rules 6 (3) of The Rules, our company has updated

the full details of such shareholders and shares due for transfers to IEPF

on its website at www.hiraferroalloys.com shareholders are requested to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable to be

Shareholders may note that the both unclaimed dividends and the shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any can be claimed back by them from IEPF authority after

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing duplicate share certificate (s) in lieu of original share certificates held by them for the purpose of transfer of

shares to IEPF as per the rules and upon such issue, the original share certificates which stands registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. shareholder may further note the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificates by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules.

In case no valid claim in respect of equity shares is received from shareholders by 18th September, 2022 or such other dates as may be extended, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the rules, transfer the shares to IEPF by the due date as per procedure stipulated in the rules. Please note that the no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend

amount and equity shares transferred to the IEPF. In case shareholders have any query on the subject matter, they may contact the registrar and transfer agent at M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., C-101, 247 Park, LBS. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083, Tel (022) 49186270 and 1800 1020 878, iepf.shares@linkintime.co.in and rnt.helpdesk@linkintime.co.in website www.linkintime.co.in

In case the concerned shareholders wish to claim the shares after transfer to IEPF, a separate application has to be made to the IEPF authority in form IEPF-5, as prescribed under the Rules and the same is available at IEPF website i.e. www.iepf.gov.in.

For Hira Ferro Alloys Limited Sd/-

Mohit Chande, Company Secretary

Raipur, 23rd June, 2022

फेरो एलॉयज लिमिटेड

पंजीकत कार्यालय और कार्य: 567 बी. उरला औद्योगिक क्षेत्र, उरला, रायपुर, छत्तीसगढ़ कॉर्पोरेट कार्यालयः हीरा आर्केड, पंडरी, रायपर, छत्तीसगढ 492001

सीआईएन: U27101CT1984PLC005837, दरभाष: 0771-4082000, फैक्स: 0771-4057601, वेबसाइट: www.hiraferroalloys.com ईमेल: mohit.chande@hfal.in

## सचना-विनिधानकर्ता शिक्षा संरक्षण कोष में अंशो के अंतरण

यह नोटिस विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (नियम) और उसके संशोधन के प्रावधानों के अनसार प्रकाशित

किया जा रहा है। इन नियमों के साथ-साथ अंतरण के प्रावधान में सभी अंशो जिसके लाभांश का भगतान या दावा

लगातार सात साल या उससे अधिक समय तक अंशधारकों द्वारा नहीं किया गया है उन्हें

विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) के नाम पर अंतरण कर दिया जायेगा। नियमों में निर्धारित विभिन्न आवश्यकताओं का पालन करते हुए, कंपनी ने जिन अंशधारकों का

निरंतर पिछले सात वर्षो (2014-15) से लाभांश अदत्त हैं, एवं जिनके अंश विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी है. उन्हें उनके उपलब्ध पते पर पत्र के

माध्यम से दिनांक 21 जन, 2022 को उचित आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सचित किया गया है। उपरोक्त नियमों के नियम 6 (3) के संदर्भ में. हमारी कंपनी ने अपनी वेबसाइट

www.hiraferroallovs.com पर आईईपीएफ में अंतरण होने वाले अंशो और अंशधारकों का परा विवरण अपडेट किया गया है. अंशधारकों से अनरोध किया जाता है कि वे दावा न किए गए लाभांश के विवरण आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी अंशो का निरिक्षण करे।

अंशधारकों को सचित किया जाता है कि यदि इन अंशो पर अर्जित सभी लाभों सहित बेदावा लाभांश आईईपीएफ में अंतरण कर दिया गया हो। अत: नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से किसी भी पर दावा किया जा सकता है। संबंधित अंशधारकों जो, भौतिक रूप में अंश धारण करते हैं और नियमों के अनसार जिनके अंश

आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए उत्तरदायी हैं, कपया ध्यान दें कि कंपनी अँशो के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा आयोजित मल अंश प्रमाण प्रत्न के बदले डप्लिकेट अंश प्रमाण पत्र जारी करेगी और इस तरह के मद्दे पर, मलें अंश प्रमाण पत्र जो उनके नाम पर पंजीकत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और गैर-विचारणीय समझा जाएगा। अंशधारक यह भी ध्यान दे कि नियमों के अनसार आईईपीएफ को अंशो के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डिप्लकेट अंश प्रमाण पत्र

जारी करने के संबंध में कंपनी द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों को ध्यान में रखा जाए और उसे पर्याप्त नोटिस समझा जाएगा। यदि 18 सितंबर, 2022 तक अंशधारकों से इक्विटी अंशो के संबंध में कोई वैध दावा प्राप्त नहीं होता है या ऐसी अन्य तिथियां विस्तारित की जा सकती हैं. तो कंपनी नियमों में निर्धारित

आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, अंशो को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय तिथि से आईईपीएफँ में अंतरण किया जायेगा। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ में अंतरण अनधिकृत लाभांश राशि और इक्विटी अंशों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

यदि अंशधारकों के पास विषय वस्तु पर कोई प्रश्न है, तो वे रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस। मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मंबई - 400083, टेली नंबर: 1800 1020 878, (022) 49186270, ई-मेल: iepf.shares@linkintime.co.in and rnt.helpdesk@linkintime.co.in

वेबसाइट www.linkintime.co.in संबंधित अंशधारक आईईपीएफ में अंतरण के बाद अंशो का दावा करना चाहते हैं. तो नियमों के तहत निर्धारित आईईपीएफ -5 के रूप में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक अलग आवेदन किया जाना चाहिए और यह आईईपीएफ वेबसाइट www.iepf.gov.in.पर उपलब्ध है।

कते, हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड हस्ता.

रायपुर, 23 जून, 2022

मोहित चान्दे, कंपनी सचिव